

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 128/11-12 सेयनुत हक वताम अनवर मिया कां०

केस का प्रकार- बिहार भू विवाद नियम

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
20/3/12	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>पुस्तक वाद सं० 128/11-12, आनेदक सेयनुत हक के द्वारा समर्पित आनेदक से सजित की आनेदक ने आने आने में उल्लेख किया है कि पुस्तक निम्न भूमि अंचल मंशोरिया के सेयनुत गांव का खता नं० - 154, खता नं० - 494. रकबा - 6 क३ 5 अ० भूमि में 28 भूमि आनेदक की रकीदगी से प्राप्त भूमि है जिस पर विपक्षीय आदिष्ट रूप से कक्षा कर आनेदक को वेदकत कला चाले में</p> <p>आनेदक के आनेदक के आनेदक में विपक्षीय के शरिष निर्गत किया गया उक्त पर आनेदक अधिकार के माध्यम से न्यायालय में 04 अ० 00 आनेदक के वि० अधिकार में दिनांक 29.3.12 को एक आनेदक समर्पित कर अनुसूच किया गत आनेदक को उक्त आनेदक के आनेदक पर संशोधित कर पिन्कर विभा</p>	

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

वाद सं०-
केस

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
------------------------------	--------------------------------

जाय

आवेदक के द्वारा समर्पित 28 आदेश पर विपक्षी के द्वारा कड़ा खराब जमाने हुए आवेदक के द्वारा समर्पित द्वितीय आदेश एक मूल आदेश को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। विपक्षी का कहना है कि आवेदक का प्रस्तुत आवेदन ही सुदृष्टिपूर्ण है जिसकी पुष्टि आदेश के द्वारा समर्पित द्वितीय आदेश से होती है आवेदक के द्वारा ~~किया~~ विचारणीय वाद के मूल तथ्य, तथ्य एवं स्तम्भ को ही बदलना चाह रहे हैं जो कानून के सर्वमान्य सिद्धांत के विपरीत हैं।

आप पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं दांगनाओं के परिशीलन के उत्कृष्ट सम्यक विचारोपरान्त में मूल निष्कर्ष पर पहुंचने से कि आवेदक का ^{अर्थात्} आवेदन सुदृष्टिपूर्ण है तथा कुछ विचारणीय वाद के द्वारा 28 आदेश या वाद के मूल तथ्यों एवं तथ्यों पर संगोप्य आदेश माना तथा उस आदेश पर विचार किया जाता उचित नहीं है।

अतः आवेदक के ~~आवेदन~~ संगोप्य आदेश

आदेश सं. 10/2018

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">न्यायालय नललिपि</p>	<p>को अस्वीकृत किया जाता है तथा मूल आवेदन को सुदृढीय पोस्ट हुए निरस्त किया जाता है। वाद की कतिपय समाप्त हो जाती है। लीखाते सं बसोले।</p> <p>२०/११/१८ भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया।</p> <p>२०/११/१८ भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया।</p> <div data-bbox="649 987 1023 1365" style="text-align: center;"> </div>

१३/१८